

पत्रांक-8/वि० MDMC-25/2008 (अंश 'ख').....333/

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति

प्रेषक:

निदेशक,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार।

पटना, दिनांक 26/3/13

विषय: वित्तीय वर्ष 2012-13 में मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत विभिन्न मदों में केन्द्रांश तथा राज्यांश के उपावटन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत विभिन्न मदों में केन्द्रांश एवं राज्यांश की निर्धारित राशि निम्नवत है :-

1. (i) 1 अप्रैल 2012 से वर्ग I-V के बच्चों के लिए परिवर्तन मूल्य की नयी दर 3.14 रु० प्रतिछात्र प्रतिदिन तथा वर्ग VI-VIII के बच्चों के लिए 4.65 रु० प्रतिछात्र प्रतिदिन निर्धारित किया गया है, जिसमें भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में वर्ग I-V के बच्चों के लिए 2.33 रु० तथा वर्ग VI-VIII के बच्चों के लिए 3.49 रु० प्रतिछात्र प्रतिदिन निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भी वर्ग I-V तथा वर्ग VI-VIII के बच्चों के लिए क्रमशः 0.81 रु० तथा 1.16 रु० प्रतिछात्र प्रतिदिन की दर से राज्यांश के रूप में निर्धारित है।
 - (ii) प्रति रसोईया-सह-सहायक प्रतिमाह 1000/-रु० की दर से वर्ष के 10 माह के लिये मानदेय मानदेय का भुगतान किया जाना निर्धारित है। रसोईया-सह-सहायक के मानदेय मद में होने वाले व्यय का वहन भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 75:25 के अनुपात में किया जाता है।
 - (iii) इसके अलावे वर्ग I-V के बच्चों के लिये 100 ग्राम खाद्यान्न तथा वर्ग VI-VIII के बच्चों के लिये 150 ग्राम खाद्यान्न निर्धारित है।
 - (iv) इस राशि से वर्ग I-V के बच्चों को भोजन में प्रतिदिन 450 कैलरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन प्रति बच्चा प्रतिदिन तथा वर्ग VI-VIII के बच्चों को भोजन में 700 कैलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए प्रतिदिन के लिये मीनू निर्धारित है।
2. (i) जिलास्तरीय कार्यालय के उपयोग हेतु कम्प्यूटर + यू.पी.एस + प्रिटर + फैंक्स आदि क्रय हेतु प्रति जिला अधिकतम व्यय 75000 रु० निर्धारित है तथा उक्त सामग्री क्रय हेतु विशिष्टियाँ अलग से पत्र के माध्यम से सूचित की जाएगी।
 - (ii) प्रत्येक जिला के लिए यात्रा मद में प्रति माह अधिकतम व्यय 6000 रु० निर्धारित है।
 - (iii) कार्यालय किराया मद में प्रतिमाह प्रति जिला अधिकतम व्यय 6000 रु० निर्धारित है।
 - (iv) ऑफिस कन्टिजेन्सी (स्टेशनरी, आकस्मिकता सहित) फोन/फैक्स/डाक टिकट/कैमरा/ फर्निचर/कार्यालय उपस्कर आदि पर प्रति जिला प्रति वर्ष अधिकतम व्यय 100000 रु० निर्धारित है।
 - (v) वाहन किराया मद में प्रति जिला प्रति माह अधिकतम व्यय 25000 रु० निर्धारित है।
 - (vi) जेनरेटर के ईंधन मद में प्रति माह प्रति जिला अधिकतम व्यय 5000 रु० निर्धारित है।
 - (vii) प्रखंड साधन सेवी को विद्यालयों से एकत्रित आँकड़े मासिक MIS में प्रविष्ट करने के लिए प्रति माह प्रति विद्यालय 16 रु० की दर से भुगतान निर्धारित है। किन्तु यह कार्य प्रत्येक माह के 15 तारिख तक सम्पन्न नहीं किए जाने पर प्रत्येक साधन सेवी से 32 रु० प्रति माह प्रति विद्यालय की दर से राशि की कटौती किया जाना है।
 - (viii) कंडिका-02 की उप कंडिका (i) (ii) (iii) (v) (vi) एवं (vii) में अंकित मद में अवशेष राशि को उप कंडिका-(iv) में अंकित मद यथा ऑफिस कन्टिजेन्सी आदि मद में आवश्यकतानुसार व्यय अनुमान्य है।

3. (i) प्रत्येक जिला समन्वयक को 11000 रु० प्रति माह की दर से, जिला साधन सेवी एवं प्रखंड साधन सेवी को 7,500 रु० प्रति माह की दर से भुगतान निर्धारित है। अंतिम त्रैमास के उपावंटन में जिला साधन सेवी के मानदेय में 1500 रु० प्रति जिला साधन सेवी उपावंटन कम किया गया था, जिसे इस उपावंटन में शामिल कर लिया गया है।
- (ii) लेखापाल-सह-डाटा इन्ट्री ऑपरेटर को 7500 रु० प्रति माह की दर से तथा लेखापाल को 10000 रु० प्रति माह की दर से भुगतान निर्धारित है।
- (iv) कार्यपालक सहायक को 7000/-रु० प्रतिमाह की दर से भुगतान हेतु निर्धारित है।
4. इस पत्र के द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश की संलग्न विवरणी के अनुसार मध्याह्न भोजन योजना के विभिन्न मदों में वित्तीय वर्ष 2012-13 के एक माह हेतु केन्द्रांश मद में ₹ 8110.15/-लाख (इक्यासी करोड़ दस लाख पन्द्रह हजार रु०) मात्र राज्यांश मद में ₹ 2183.91/-लाख (एक्कीस करोड़ तेरासी लाख इक्यानवे हजार रु०) मात्र उपावंटित की जाती है।
5. उक्त कंडिका-03 के अनुसार उपावंटित राशि आवश्यकतानुसार एक मद से दूसरे मद में सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति की स्वीकृति के उपरान्त व्यय की जा सकती है। कृपया उक्त राशि के व्यय के उपरान्त सचिव, बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति को उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
6. भारत सरकार द्वारा वर्ग I-V के लिए 7500000 तथा वर्ग VI-VIII के लिए 2500000 लाख बच्चों को प्रतिदिन मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने का न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किन्तु वर्ग I-VIII के सभी नामांकित बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाना समिति का लक्ष्य है। अतः जिला द्वारा उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु राशि की माँग किये जाने पर सम्बन्धित जिला को आवश्यक राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।

विश्वासभाजन

P

26-3

(आर० लक्ष्मणन)

निदेशक,

मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना।


मध्याह्न भोजन योजना, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंतिम त्रैमास उपावंटन के पश्चात कुछ जिलों से माँग के आलोक में मध्याह्न भोजन योजना हेतु विभिन्न मदों में उपावंटित की जाने वाली राज्यांश की राशि।

(राशि लाख में)

क्र.सं.	जिला	परिवर्तन मूल्य मद में एक माह हेतु उपावंटित राशि		कुल (Col. 3+4) का जोड़	रसोईया-सह-सहायक के मानदेय मद में इस पत्र के द्वारा आवंटित राज्यांश की राशि।	इस पत्र के द्वारा राज्यांश मद में कुल आवंटित राशि। (Col. 5+6)
		I-V	VI-VIII			
1	2	3	4	5	6	7
1	पटना	42.24	25.44	67.68	18.29	85.98
2	नालन्दा	26.97	15.00	41.97	11.98	53.95
3	भोजपुर	25.79	16.23	42.03	11.10	53.13
4	बक्सर	19.91	13.09	33.00	8.55	41.55
5	रोहतास	29.96	21.24	51.20	14.19	65.39
6	कैमूर	19.70	12.50	32.20	8.65	40.84
7	गया	47.38	25.81	73.18	19.11	92.29
8	जहानाबाद	12.80	7.59	20.39	5.62	26.01
9	अरवल	8.07	5.29	13.35	3.13	16.48
10	नवादा	24.92	11.96	36.88	8.96	45.84
11	औरंगाबाद	29.88	17.44	47.32	11.24	58.56
12	सारण	43.01	26.89	69.90	17.22	87.12
13	सिवान	32.40	22.30	54.70	12.36	67.06
14	गोपालगंज	26.36	17.04	43.40	9.55	52.95
15	मुजफ्फरपुर	48.94	29.49	78.42	16.99	95.41
16	सीतामढ़ी	40.30	19.07	59.37	11.81	71.18
17	शिवहर	8.32	3.27	11.60	3.13	14.73
18	वैशाली	32.90	22.92	55.82	13.91	69.72
19	पूर्वी चम्पारण	59.17	31.30	90.47	20.05	110.52
20	प० चम्पारण	42.98	18.55	61.53	15.81	77.34
21	दरभंगा	40.91	22.30	63.21	14.22	77.43
22	मधुबनी	50.19	29.56	79.75	18.23	97.98
23	समस्तीपुर	46.20	27.05	73.25	16.12	89.37
24	पूर्णिया	40.88	18.68	59.56	11.77	71.33
25	किशनगंज	21.43	10.57	32.00	5.77	37.77
26	अररिया	35.65	15.30	50.95	9.84	60.79
27	कटिहार	43.97	15.77	59.74	11.86	71.60
28	भागलपुर	31.99	18.51	50.50	10.38	60.88
29	बांका	23.21	9.65	32.86	8.59	41.45
30	मुंगेर	13.79	8.69	22.48	6.02	28.50
31	शेखपुरा	6.92	4.00	10.92	2.56	13.49
32	लखीसराय	11.12	5.89	17.01	4.26	21.27
33	जमुई	20.13	9.79	29.93	7.14	37.07
34	खगड़िया	19.80	10.81	30.61	6.72	37.33
35	बेगूसराय	33.19	19.52	52.71	10.23	62.94
36	सहरसा	29.24	10.36	39.60	9.26	48.86
37	सुपौल	24.64	14.26	38.90	9.74	48.64
38	मधेपुरा	26.23	15.36	41.59	9.59	51.18
	कुल	1141.51	628.48	1769.99	413.92	2183.91

नोट - यदि किसी जिला को राशि की आवश्यकता महशूस होती है तो विस्तृत विवरणी के साथ राज्य मुख्यालय स्तर से राशि की माँग की जा सकती है।


 निदेशक,
 मध्याह्न भोजन योजना,
 बिहार, पटना

मध्याह्न भोजन योजना, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

वित्तीय वर्ष 2012-13 के अंतिम त्रैमास उपावंटन के पश्चात कुछ जिलों से माँग के आलोक में मध्याह्न भोजन योजना हेतु विभिन्न मदों में उपावंटित की जाने वाली केन्द्रांश की राशि।

(राशि लाख में)

क्र.सं.	जिला	परिवर्तन मूल्य मद में एक माह हेतु उपावंटित राशि		कुल (Col. 3+4) का जोड़	रसोईया-सह-सहायक के मानदेय मद में	खाद्यान्न के मूल्य मद में	परिवहन - सह-हथालन मद में	प्रबंधन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन मद में तीन माह के लिये	कुल (Col. 5+6+7+8+9)
		I-V	VI-VIII						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पटना	126.73	76.33	203.05	54.88	50.91	6.50	2.14	317.47
2	नालन्दा	80.91	45.01	125.92	35.93	31.56	4.03	1.89	199.33
3	भोजपुर	77.38	43.70	126.08	33.30	31.62	4.04	1.55	196.58
4	बक्सर	59.74	39.26	99.00	25.66	24.83	3.17	1.24	153.89
5	रोहतास	89.88	63.71	153.59	42.58	38.53	4.92	1.95	241.56
6	कैमूर	59.09	37.50	96.59	25.94	24.22	3.09	1.24	151.07
7	गया	142.13	77.42	219.55	57.32	55.03	7.02	2.30	341.22
8	जहानाबाद	38.39	22.77	61.16	16.86	15.33	1.96	1.02	96.33
9	अरवल	24.21	15.86	40.06	9.38	10.05	1.28	0.79	61.56
10	नवादा	74.76	35.88	110.64	26.88	27.72	3.54	1.57	170.35
11	औरंगाबाद	89.65	52.31	141.97	33.73	35.59	4.54	1.24	217.06
12	सारण	129.03	80.67	209.70	51.66	52.58	6.71	2.00	322.65
13	सिवान	97.20	66.91	164.11	37.07	41.16	5.25	1.84	249.43
14	गोपालगंज	79.08	51.11	130.20	28.65	32.65	4.17	1.55	197.21
15	मुजफ्फरपुर	146.81	88.46	235.26	50.96	58.99	7.53	1.70	354.43
16	सीतामढ़ी	120.91	57.21	178.12	35.42	44.63	5.70	1.77	265.64
17	शिवहर	24.97	9.82	34.79	9.39	8.71	1.11	0.79	54.79
18	वैशाली	98.70	68.75	167.45	41.72	42.00	5.36	1.70	258.23
19	पूर्वी चम्पारण	177.50	93.91	271.41	60.16	68.02	8.68	2.52	410.79
20	प० चम्पारण	128.94	55.65	184.59	47.44	46.24	5.90	1.87	286.03
21	दरभंगा	122.74	66.89	189.63	42.67	47.53	6.07	1.85	287.74
22	मधुबनी	150.57	88.68	239.25	54.69	59.98	7.66	2.07	363.65
23	समस्तीपुर	138.60	81.15	219.75	48.35	55.09	7.03	1.89	332.11
24	पूर्णिया	122.63	56.04	178.67	35.30	44.76	5.71	1.57	266.02
25	किशनगंज	64.30	31.70	96.00	17.30	24.06	3.07	1.05	141.47
26	अररिया	106.96	45.90	152.86	29.52	38.29	4.89	1.09	226.65
27	कटिहार	131.90	47.31	179.21	35.58	44.87	5.73	1.72	267.11
28	भागलपुर	95.98	55.52	151.50	31.13	37.98	4.85	1.61	227.07
29	बांका	69.63	28.95	98.58	25.76	24.69	3.15	1.35	153.52
30	मुंगेर	41.38	26.07	67.45	18.05	16.91	2.16	1.20	105.76
31	शेखपुरा	20.77	12.01	32.77	7.69	8.22	1.05	0.97	50.70
32	लखीसराय	33.36	17.66	51.03	12.79	12.79	1.63	0.86	79.10
33	जमुई	60.40	29.38	89.78	21.41	22.50	2.87	1.14	137.70
34	खगड़िया	59.41	32.43	91.84	20.15	23.02	2.94	0.91	138.85
35	बेगूसराय	99.57	58.56	158.13	30.70	39.64	5.06	1.87	235.40
36	सहरसा	87.71	31.09	118.80	27.77	29.74	3.80	1.25	181.36
37	सुपौल	73.91	42.78	116.69	29.21	29.25	3.73	1.21	180.10
38	मधेपुरा	78.69	46.07	124.76	28.78	31.28	3.99	1.39	190.19
	कुल	3424.53	1885.45	5309.98	1241.76	1330.97	169.88	57.55	8110.15

नोट - यदि किसी जिला को राशि की आवश्यकता महशूस होती है तो विस्तृत विवरणी के साथ राज्य मुख्यालय स्तर से राशि की माँग की जा सकती है।

26.3.
निदेशक,

मध्याह्न भोजन योजना,
बिहार, पटना